न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–58 सन् 2020

सुंदरपति देवी.....वादिनी

बनाम

सचितानंद ठाकुर व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 25.01.2022

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 06 नियम 17 के अंतर्गत दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 12.03.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादी के द्वारा वाद दखल करने के कई महीनों के बाद गांव में अफवाहन यह जानकारी मिली कि प्रतिवादी फरीक–1 ने प्रतिवादी फरीक–2 को को शेष बची जमीन 1 कठा 4 धूर जमीन तकरारी खेसरा 1226 का भी बैनामा लिख दिया है। जब वादीगण पता लगाकर उसका नकल दिनांक 30.12.2020 को प्राप्त किया तो पढ़ वो पढ़वाकर जानकारी लिया तो प्रतिवादी के फरेब की जानकारी हुई। न्यायहित में प्रतिवादी फरीक–1 के द्वारा प्रतिवादी फरीक–2 के पक्ष में दिनांक 09.11.2020 को लिखा गया बैनामा के संबंध में परितोष मांगना आवश्यक है। जिसके कारण वादपत्र में संशोधन न्यायहित में आवश्यक है। वादपत्र के अंदर में दर्ज वंशावली में गोपी ठाकुर के पिता का नाम झाझू ठाकुर दर्ज हो गया है। जब कि तकरारी भूमि के खतियान के अवलोकन से स्पष्ट है कि मु0 भगवतिया जौजे– गोपी ठाकुर थे तथा मु0 भगवतिया खतियानी रैयत थी। जिसके

संबंध में वादपत्र के पैरा–3 में स्पष्ट रूप से विवरण दिया हुआ है। फलस्वरूप वंशावली में मु0 भगवतिया जौजे–गोपी ठाकुर जो तकरारी भूमि में खतियानी रैयत का नाम अलग से दर्ज करना तथा गोपी ठाकुर पिता का नाम झाझू ठाकुर का नाम कलमजद करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो कि साधारण प्रकृति की है। साथ ही इस वाद में प्रतिवादी के द्वारा अभी बयान तहरीरी भी दाखिल नहीं किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से दिनांक 13.08.2021 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें उनका कथन है कि वादी का आवेदन स्वीकार होने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। वादी का आवेदन बिल्कुल गलत कथनों पर आधारित है। वादी का बैनामा दिनांक 08.09.2020 प्रतिवादी फरीक–1 बनाम प्रतिवादी फरीक–2 की जानकारी पूर्व से रहती आई है। वादी के संशोधन आवेदन के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादी का आवेदन संशोधन का नहीं बल्कि एडिसन का है जो नियमानुकूल स्वीकार होने योग्य नहीं है। वादी संशोधन के माध्यम से नया मामला खड़ा करना चाहते हैं। वादी ने संशोधन आवेदन में कुर्सीनामा में भी संशोधन करने का अनुरोध किया है। कुर्सीनामा संशोधन करना न्याय की दृष्टि से सही नहीं है। वादी के संशोधन आवेदन स्वीकार होने से वादी के स्वरूप पर प्रभाव पड़ता है। अतः निवेदन है कि वादी के संशोधन आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में अभी विचारण प्रारंभ नहीं हुआ है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण हाजिर हो चुक हैं और उनके द्वारा

बयान तहरीरी दाखिल किया जा चुका है। विचारण प्रारंभ होने के पूर्व वादी अपने वादपत्र में संशोधन करने हेत, आवेदन दाखिल किया है जो पोषणीय है। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 12.03.2021 को न्यायहित में 500/—रूपये खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि प्रतिवादीगण को प्रदान कर वादपत्र में संशोधन करें।

प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे संशोधन के आलोक में अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल कर सकते हैं।

वाद दिनांक 08.02.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।